

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि०

ओ-1, सुभाष नगर, झोटवाडा रोड, जयपुर/

पंत कृषि भवन कमरा नं.233

(परिसमापन प्रक्रिया में) फोन:2227946

बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि० जो कि परिसमापन प्रक्रिया में है की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कम्पनी कोर्ट में विचाराधीन मामले में कम्पनी की स्कीम पेश की जानी है, जिसके संबंध में संलग्न टीओआर अनुसार फर्मो/ संस्थाओं से निम्न विशेषज्ञों की उचित एवं पारदर्शी दरें प्रस्तुत करने हेतु बोलीयां आमंत्रित की जाती है ।

- (i) A registered Insolvency professional as per mandated under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
- (ii) An Advocate to act as legal Advisor ensuring that steps taken hereinafter are in accordance with law and to draft the scheme in consultation with Insolvency Professional.
- (iii) A Chartered Accountant to ensure fair realization of assets
- (iv) Registered Valuer to ascertain the value of assets company

उक्त बोलीयां दिनांक 26.02.2018 तक मध्याह्न पश्चात 2.00 बजे तक प्राप्त किये जाकर उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित लागत	कार्य अवधि
1.	राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज की माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली स्कीम जिसमें कम्पनी की पूंजी एवं दायित्वों का उल्लेख एवं समस्त कार्य कानूनी दायरे में निस्तारित किये जाने हेतु ।	2.25 लाख	30 दिवस

सामान्य शर्तें:-

1. बोली प्रपत्र बोली सूचना से संबंधित नियम एवं शर्तें कमरा नं० 235, कृषि आयुक्तालय, राज० जयपुर के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 23.02.2018 तक देखें / प्राप्त किये जा सकते हैं। राज्य लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
2. बोलीयां सीलबंद लिफाफे में जिस पर बोली का विवरण अंकित हो वित्तीय सलाहकार एवं सचिव, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि० कमरा नं० 233, द्वितीय तल, पंत कृषि भवन, कृषि विभाग, राज० जयपुर के कार्यालय में दिनांक 26.02.2018 मध्याह्न पश्चात 2.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए।

3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बोलीयां स्वीकार नहीं की जावेंगी।
4. उक्त बोलीयों का आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त कृषि एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि० जयपुर को होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता स्वयं के लैटर हैड अथवा मुद्रित सादा कागज पर अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।
6. टेण्डर प्रपत्र मूल्य राशि रू० 500/- का डी.डी./बैंकर चैक राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि० के नाम से संलग्न करना होगा।
6. **2%** धरोहर राशि का राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि० के नाम से डी.डी. / बैंकर चैक संलग्न करना होगा। बिना धरोहर राशि के बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।



(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं सचिव

TOR for Insolvency professional, Advocate, chartered Accountant and Registered Valuer

Work Includes in services

1. Newspaper publication calling for Debt and liabilities payable by the company.
2. Ascertain all the Liabilities payable by the company and shall be taken on record.
3. Ascertain the employees Liabilities payable by the company and shall be taken on record.
4. Take the possession of all the assets of the company and Filing of suits and taking appropriate legal action to take the possession in respect of Current and Non Current assets.
5. Call/ demand the amount from sundry debtors and loans and advance given by the company.
6. Physical verification of Inventories, current assets and fixed assets of the company and Investigation against the short fall, if any.
7. Get the valuation of all the Assets including fixed assets through registered valuer.
8. Get the financial statement realijation of assets and liabilities from the Chartered accountant appointed in this behalf.

Insolvency professional

- 1.The firm shall have experience of at least 10 years as professional like,CA,CS and CMA and shall have the membership of any IP agency.
- 2.The firm/ partner shall have experience of handling at least one insolvency matter.
- 3.The firm/ partners shall have experience of handling consultancy relating to Company Law of at least two Government Companies.
The firm should have head office/branch office in Jaipur.

Advocate(Legal Advisor)

- 1.The firm shall have experience of at least 10 years as legal practitioner.
- 2.The firm shall have experience of handling merger/amalgamation matter of at least 5 years.
- 3.The firm should have office in Jaipur.

chartered Accountant

- 1 The firm shall have experience of at least 10 years as practicing Chartered Accountant
- 2 The firm/partners shall have experience of handling audit of at least two Government Companies and shall be registered with C&AG
3. The firm should have head office/branch office in Jaipur.

Registered Valuer

1. The firm shall have experience of at least 10 years experience in Property Valution Work
- 2.Working exprience in Government department/PSU
- 3.He should be certified for property valuation by the Govt.of Rajasthan/Govt. of India